

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

विषय गिरीजा विपक्षी गोरे
 पत्रावली संख्या 50/19 मग

कार्यवाही विवरण हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं

17/8/20 पत्रावली पेरा 51
 गतिनकरा उरुम प. न. 8. 11. 7 371 उरुम
 वारिमाय क र नोरीक पेरा 51
 जारी हो पत्रावली सिंग 8
26/8/20 श्री वेदा ए/म

26/8/20 पत्रावली पेरा 52
 विशेष व नोरीक पेरा 52
 जारी हो पत्रावली सिंग 8
20/10/20 श्री वेदा ए/म

24/10/20 पत्रावली पेरा 53
 गतिनकरा उरुम प. न. 8. 11. 7 371
 विशेष व नोरीक पेरा 53
 जारी हो पत्रावली सिंग 8
18/11/20 श्री वेदा ए/म

18/11/20 पत्रावली पेरा 54
 विशेष व नोरीक पेरा 54
 जारी हो पत्रावली सिंग 8
16/12/20 श्री वेदा ए/म



16/1/20

पत्रावली पेश की गयी अधिवक्ता
उक्त पत्रावली को हेतुवित्त विभाग
पेश की व. 108 बारिमान व नीति
के अधीन है। (घ), पेश की पत्रावली
दिनांक 27/1/21 पेश की गयी

27/1/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक 12/5/21 को पेश हो।

19/3/2021

श्री 108
Id. by
me

पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी द्वारा उपस्थित
होकर तलबी मय प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी.
का पेश करने पर तलब की गई।
उपकरण में प्रार्थी व विपक्षी के मध्य आपसी राजीनामा
हो जाने से उपकरण में प्रार्थी कोई कार्यवाही नहीं चाहकर
उपकरण को इसी स्तर पर ड्रॉप करवाने का निवेदन किया।
प्रार्थी की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई।
अतः उपकरण में प्रार्थी कोई कार्यवाही नहीं चालने
से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम का इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है।
पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम है।
निर्णय सुले न्यायालय सुनाया गया।



7-
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली